दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

रि.या. (सि.) सं. 3763/2002

निर्णय की तिथि: 12.05.2008

के.एन.एस. बिंद्रा ...याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री सुनील कुमार, अधिवक्ता याचिकाकर्ता के साथ व्यक्तिगत रूप से।

बनाम

भारत संघ और अन्य ...प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री एस. बी. शर्मा और
श्री मनोज ओहरी, अधिवक्तागण।

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय किशन कौल
माननीय न्यायमूर्ति श्री मूल चंद गर्ग

1. क्या स्थानीय समाचार पत्र के संवाददाताओं को निर्णय देखने की अनुमति दी जा सकती है? हाँ
2. रिपोर्टर को संदर्भित किया जाना है या नहीं? हाँ
3. क्या निर्णय डाइजेस्ट में प्रकाशित किया जाना चाहिए? हाँ।

न्या. संजय किशन कौल (मौखिक)

1. पीड़ित व्यक्तियों को उनके द्वारा किए गए चिकित्सा व्यय की पूरी प्रतिपूर्ति न किए जाने और इस प्रकार इस न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने के लिए मजबूर होने की कहानी समाप्त होती नहीं दिखती, क्योंकि प्रत्यर्थीगण और अन्य अधिकारी इस न्यायालय द्वारा विभिन्न उद्घोषणाओं में निर्धारित विधिक सिद्धांतों की अनदेखी करना जारी रखते हैं। वर्तमान मामले के तथ्य:

2. याचिकाकर्ता रक्षा लेखा उप नियंत्रक (वायु सेना) विभाग में वरिष्ठ लेखा परीक्षक के रूप में काम कर रहा है और सेवा के दौरान उसे एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर लिमिटेड, नई दिल्ली (संक्षेप में 'एस्कॉर्ट्स अस्पताल') में ओपन हार्ट सर्जरी करानी पड़ी। वास्तव में, याचिकाकर्ता ने एंजियोग्राफी परीक्षण के लिए विभाग से अनुमति माँगी थी क्योंकि उसे बार-बार दिल में दर्द हो रहा था और 26.4.2001 को अनुमति दी गई थी। याचिकाकर्ता 21.6.2001 को एस्कॉर्ट्स अस्पताल गया, जहाँ एंजियोग्राफ़ी परीक्षण किया गया और याचिकाकर्ता को तत्काल ऑपरेशन कराने की सलाह दी गई। याचिकाकर्ता ने 26.4.2001 और 22.6.2001 के पत्र के माध्यम से विभागाध्यक्ष से उचित अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ओपन हार्ट सर्जरी का चिकित्सा उपचार कराया।

3. याचिकाकर्ता के चिकित्सा व्यय का प्रारंभिक अनुमान 2.00 लाख रुपये लगाया गया था और याचिकाकर्ता को उक्त राशि का 90 प्रतिशत (1,80,000.00 रुपये + 14,400.00 रुपये = 1,94,400.00 रुपये) अग्रिम दिया गया था। हालाँकि, एस्कॉर्ट्स अस्पताल द्वारा बनाया गया कुल चिकित्सा बिल 2,65,660.00 रुपये था।

4. प्रत्यर्थीगण का दावा है कि कार्यालय द्वारा निर्धारित राशि 1,68,160.00 रुपये थी और इस प्रकार याचिकाकर्ता को 26,240.00 रुपये की अतिरिक्त राशि दी गई थी। कुछ और राशि भी पारित की गई थी और याचिकाकर्ता से बकाया राशि 24,940.00 रुपये बताई गई थी। इस प्रकार, उक्त राशि को किश्तों में वसूलने का आदेश पारित किया गया।

5. याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका दायर कर चिकित्सा व्यय के लिए खर्च की गई पूरी राशि के प्रतिकर के लिए निर्देश देने की माँग की है क्योंकि एस्कॉर्ट्स अस्पताल सीजीएचएस के अंतर्गत एक मान्यता प्राप्त अस्पताल है और आगे की राहत के लिए प्रार्थना की है कि कटौती की जा रही राशि को इस तरह से नहीं काटा जाना चाहिए। याचिका के लंबित रहने के दौरान कटौती की

गई राशि के विरुद्ध याचिकाकर्ता के पक्ष में अंतरिम राहत दी गई थी।

6. हमारे विचार से यह मामला अब अनिर्णीत विषय नहीं रह गया है, क्योंकि इस न्यायालय ने सीजीएचएस अनुमोदित अस्पतालों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा चिकित्सा सुविधा का लाभ उठाने के मामले में अनेक बार निर्णय दिया है, तथा जो बिल बनाए गए हैं, वे कथित तौर पर भारत सरकार के परिपत्रों में निर्धारित राशि से अधिक हैं। वर्तमान मामले में प्रति शपथपत्र में केवल यह बयान दिया गया है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा गणना की गई राशि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अपने पत्र संख्या 11022/1/98/सीजीएचएस (पी) दिनांक 4.9.1998 द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार है, तथा इस प्रकार न तो शेष राशि देय है, न ही याचिकाकर्ता राशि की कटौती पर रोक की राहत का हकदार है।

7. इसी प्रकार के परिपत्र पर इस न्यायालय द्वारा हममें से एक (न्या. संजय किशन कौल) द्वारा <u>पृथ्वी नाथ चोपड़ा बनाम भारत संघ एवं अन्य</u> 111 (2004) डीएलटी 190 = 2004 III एडी (दिल्ली) 569 में दिए गए निर्णय में चर्चा की गई है। दिलचस्प बात यह है कि उक्त मामले में उठाया गया बचाव भी <u>पंजाब</u>

राज्य एवं अन्य बनाम राम लुभाया बग्गा एवं अन्य (1998) 4 एससीसी 117 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर आधारित था, जिसका संदर्भ प्रति शपथपत्र में दिया गया है (उद्धरण दिए बिना)। शीर्ष न्यायालय ने उक्त निर्णय में टिप्पणी की है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21, 41 और 47 के अंतर्गत स्वस्थ जीवन का अधिकार है, लेकिन सरकार द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों द्वारा अनुमत सीमा तक सुविधाओं को सीमित करना उचित था। शीर्ष न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा इसमें संदर्भित सभी निर्णयों पर चर्चा करना आवश्यक नहीं है, लेकिन निर्णय के पैराग्राफ़ 23 में उल्लिखित विवाद यह था कि क्या याचिकाकर्ता केवल 1996 के परिपत्र में निर्दिष्ट दरों पर या अस्पताल द्वारा लगाए गए शुल्क के अनुसार प्रतिपूर्ति का हकदार था। यह देखा गया कि शीर्ष न्यायालय ने केवल यह निर्धारित किया था कि इस तरह के चिकित्सा उपचार के लिए असीमित संसाधन उपलब्ध कराना संभव नहीं हो सकता है, लेकिन साथ ही यह भी सामने आया कि वी.के. गुप्ता बनाम भारत संघ एवं अन्य 97 (2002) डीएलटी 337 में की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए सभी मामलों में परिपत्र का सख्ती से पालन नहीं किया गया था। वास्तव में, उक्त निर्णय में यह देखा गया कि प्रतिपूर्ति नियमित रूप से वास्तविक व्यय के अनुसार की जा रही थी और

यह 1996 के परिपत्र तक सीमित नहीं थी, बल्कि ऐसा केवल तभी हुआ जब न्यायालय के विशेष निर्देश थे। यह पाया गया कि यह कोई संतोषजनक स्थिति नहीं थी, जहाँ पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सा उपचार के लिए राशि जारी कराने के लिए हर बार न्यायालय आना पड़ता था। संयोग से यह भी एस्कॉर्ट्स अस्पताल का ही मामला था।

8. निर्णयों से जो एक और बात उभर कर आई, वह यह थी कि ज्ञापन की अवधि दो (2) वर्ष थी और समय-समय पर इसमें संशोधन की आवश्यकता थी। संशोधन काफ़ी समय तक नहीं हुए, जिससे अस्पतालों द्वारा ली जाने वाली दरों के संबंध में अपनी कठिनाई पैदा हुई। एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि अपनाई गई प्रक्रिया ऐसी थी कि याचिकाकर्ता को पहले शुल्क का भुगतान करने और उसके बाद प्रतिपूर्ति माँगने के लिए मजबूर किया गया, जबकि वास्तव में पूरी नीति में यह परिकल्पना की गई थी कि अनुमोदित अस्पतालों द्वारा सरकार को सीधे बिल भेजने की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि कई बार रोगी के पास उपचार कराने के लिए तुरंत धन नहीं हो सकता है। एक रिट जारी की गई, जिसके अंतर्गत पूरी राशि की प्रतिपूर्ति करने का निर्देश दिया गया।

9. मिलाप सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य 2004 वी ए.डी. (दिल्ली) 529 में एक बार फिर अस्पताल द्वारा पैक की गई दर से अधिक दर वसूले जाने का मुद्दा न्यायनिर्णयन के लिए आया। पृथ्वी नाथ चोपड़ा मामले (पूर्वोक्त) का संदर्भ लिया गया और एक बार फिर पूर्ण प्रतिपूर्ति का निर्देश देते हुए परमादेश रिट जारी की गई। यदि यह पाया गया कि कोई राशि अधिक थी, तो अस्पताल के साथ मामले को निपटाने का विकल्प सरकार पर छोड़ दिया गया।

10. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने रणदीप कुमार राणा (स्क्वाड्रन कमांडर) बनाम भारत संघ 2004 IV एडी (दिल्ली) 139 में इस न्यायालय की खंड पीठ के निर्णय को हमारे संज्ञान में लाया है, जहाँ उक्त उद्देश्य के लिए अनुशंसा के बाद उसी एस्कॉर्ट्स अस्पताल में उपचार के संबंध में चिकित्सा व्यय की पूर्ण प्रतिपूर्ति के लिए निर्देश दिया गया था और यह टिप्पणी की गई थी कि यदि अस्पताल पैक की गई दरों से अधिक शुल्क लेता है और प्रत्यर्थीगण को लगता है कि कोई अतिरिक्त भुगतान किया गया है, तो यह एक ऐसा मामला है जिसे अस्पताल और सरकार के बीच सुलझाया जाना चाहिए, लेकिन याचिकाकर्ता को इसकी प्रतिपूर्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है।

11. उपरोक्त का परिणाम यह है कि प्रत्यर्थीगण को एस्कॉर्ट्स अस्पताल द्वारा प्रस्तुत बिलों के अनुसार याचिकाकर्ता के पूर्ण चिकित्सा व्यय, जो 2,65,660.00 रुपये है जिसमें से पहले से भुगतान की गई राशि 1,94,400.00 रुपये घटा दी गई है, का भुगतान करने का निर्देश देते हुए एक परमादेश रिट जारी की जाती है। याचिकाकर्ता को वेतन से की गई कटौती के लिए भी भुगतान किया जाना चाहिए, जो 6,000.00 रुपये की सीमा तक बताई गई है, जिसकी याचिकाकर्ता को प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए। यह आवश्यक कार्य आज से अधिकतम दो (2) महीने की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए।

12. कुल जुर्माना 10,000.00 रुपये आँका गया है, जिसमें से 5,000.00 रुपये याचिकाकर्ता को दिए जाने चाहिए और शेष 5,000.00 रुपये दिल्ली उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के पास जमा किए जाने चाहिए, क्योंकि प्रत्यर्थीगण इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के विपरीत कार्य कर रहे हैं और अनावश्यक रूप से न्यायालय के कार्य-सूची पर बोझ डाल रहे हैं तथा इसके कर्मचारियों/रोगियों को असुविधा पहुँचा रहे हैं।

13. याचिका को उपरोक्त शर्तों के साथ अनुमति दी जाती है।

न्या. संजय किशन कौल

12 मई, 2008 न्या. मूल चंद गर्ग

बी'नेश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*